

दिनांक 08.06.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र रतूड़ी उपस्थित। अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 29ब प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू-4 एवं पी0डब्लू-5 का साक्ष्य अंकित किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 14.06.2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हो। पैरोकार नोट करे।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।